राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

कमांकः– एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे–III/9872-9876 दिनांकः– 9.10.2013

आदेश संख्या 298 /2013–14

राज्य सरकार के आदेश कमांक प.11(7) वित्त(नियम/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट–I/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे–बेण्ड 2(9300–34800) ग्रेड पे 4200/– एवं राज्य सरकार के आदेश कमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 जुलाई,2013 के अनुसरण में दिनांक 1.7.2013 से ग्रेड पे 4800/– में स्वीकृत की जाती हैं।

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार /लेखाकार सर्व श्री	मेरिट संख्या/ बैंच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	
01.	परमिन्दर सिंह सैनी	आर–5/92	17.06.1995	17.06.2013	
02.	मदन लाल	आर–8 /92	20.06.1995	20.06.2013	
03.	अनिल कुमार गोयल	आर–15/92	14.07.1995	14.07.2013	
04.	संजय सिंहवाल	आर–32/92	29.06.1995	29.06.2013	
05.	बालकिशन स्वामी	आर–109 / 92	29.06.1995	29.06.2013	
06.	नित्य किशोर सोनी	आर–110/92	13.07.1995	13.07.2013	
07.	विनोद कुमार जैन	आर–116/92	15.07.1995	15.07.2013	
08.	रामेश्वर लाल	आर–146/92	17.06.1995	17.06.2013	
09.	श्याम लाल पंवार	आर–167/92	19.06.1995	19.06.2013	
10.	ऊषा जैन	डीजीएस 92	17.08.1995	17.08.2013	
11.	यशपाल बाफना	डीजीएस 92	19.08.1995	19.08.2013	
12.	महेन्द्र मधुकर वर्मा	516/1992	28.03.1995	28.03.2013	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश कमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तो के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी धोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती हैं।

कम संख्या 1, 7, 8, 11 एवं 12 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षो में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तद्नुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा हैं एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्व कोई विभागीय जाचं लम्बित नहीं हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावें।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

कमांकः– एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे–III/9872-9876 दिनांक 9.10.2013
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैंः–

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयध्यक्ष.....................................
2. श्री.....................................कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....................................
3. निजी सहायक, निदेशक महोदया
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोइ प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खाले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) /निजी/गार्ड फाईल ।

(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–II)